बहारे तहरीर

(हिस्सा 7)

इल्मी, तहकीकी और इस्लाही तहरीरों
पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता

अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल

अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल के बारे में

अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल एक इस्लामी तन्ज़ीम है जो अहले सुन्नत व जमाअ़त के मन्हज पर काम कर रही है। इस तन्ज़ीम का मक़्सद क़ुरआनो सुन्नत की तालीमात को आम करना है और खिदमते खल्क़ भी इसी मक़्सद के तहत है।

सना 2014 ईस्वी में हिन्दुस्तान के शहर हज़ारीबाग से चंद लोगों ने मिल कर इस सफ़र का आगाज़ किया फिर आगे चल कर कई लोग इस में शामिल होते गये और बहुत ही क़लील मुद्दत में अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल एक तन्ज़ीम बन कर सामने आयी।

आगाज़ इस तरह हुआ कि लोगों में इल्म की कमी और आमाल से दूरी को देखते हुये हफ्ता वार इज्तिमाआत का एहतिमाम किया गया जिस में हर हफ्ते अलग-अलग घरों में महफ़िलें सजाई जाती फिर इल्मी और इस्लाही बयानात दिये जाते और उस के लिये उलमा -ए- अहले सुन्नत को मदऊ किया जाता था।

कई महीनों बल्कि एक साल से ज़ाइद ये सिलसिला जारी रहा। इस के साथ-साथ यादगार अय्याम की मुनासिबत से जलसे करवाना, मीलादुन्नबी के जुलूस का एहतिमाम करना और खल्क़ की खिदमत भी जारी रही।

इस के बाद हम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिये तेज़ी से फैल रही बुराईयों को देखा तो महसूस हुआ कि इस मैदान में भी उतरने की सख्त ज़रूरत है और फिर अपने मक़्सद के हुसूल के लिये हम ने इस तरफ रुख किया।

मुख्तलफ़ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और एप्लीकेशंस पर जब काम शुरू किया गया तो बहुत ही कम वक़्त में बढ़ती मक़बूलियत को देख कर इस का यक़ीन हो गया कि इस मैदान में काम करना कितना ज़रूरी है।

इस के लिये हम ने फेस बुक, वॉट्सएप्प, ब्लॉगर और बाद में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और वेबसाइट्स को ज़रिया बना कर लोगों तक पहुँचने की कोशिश की।

तन्ज़ीम से मुन्सलिक हर शख्स की पुर खुलूस कोशिशों ने बहुत जल्द अपना रंग दिखाया और देखते ही देखते ये नाम "अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल" हज़ारों लोगों ने जान लिया।

इस तन्ज़ीम की जानिब से :

इल्मी, तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों को आम किया जाता है ताकि लोगों के अक़ाइदो, नज़रियात और आमाल की इस्लाह हो सके,
तहक़ीक़ी मौज़ूआत पर रिसाले तरतीब दिये जाते हैं।
कुतुब व रसाइल को टेलीग्राम के ज़रिये आम किया जाता है,
तहरीरात और रसाइल को चन्द मुख्तलफ़ ज़बानों में तर्जुमा कर के आम किया जाता है ताकि ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचाया जा सके,
वॉट्सएप्प पर सैकड़ों ग्रुपों में लोगों को जोड़ कर मुख्तलफ़ मौज़ूआत पर तहरीरें वग़ैरह भेजी जाती हैं,
यू-ट्यूब पर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर के अपलोड की जाती हैं,
इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जो आयात, अहादीस और अक़्वाल पर मुश्तमिल होती हैं,
वेबसाइट पर इल्मी मवाद को जमा किया जाता है ताकि आसानी से लोग फ़ाइदा उठा सकें,
इन के अलावा सुन्नियों के आपस में निकाह के लिये एक सर्विस बनाम "ई निकाह सर्विस" शुरु की गयी है जहाँ पूरे हिन्दुस्तान से निकाह के लिये सुन्नी लड़के और लड़कियों की प्रोफ़ाइल बनायी जाती है ताकि लोग आसानी से रिश्ता तलाश कर सकें। अब तक अहले सुन्नत के लिये कोई ख़ास ऐसी सर्विस मौजूद नहीं थी। अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमें इस पर भी काम करने का मौक़ा मिला।

ये सफ़र जारी है और हर दिन ये कोशिश की जाती है कि इसे पहले से बेहतर बनाया जाये और बड़े से बड़े पैमाने पर काम किया जाये। इंशा अल्लाह ये कोशिशें इस तन्ज़ीम के साथ मिल कर काम करने वालों के लिये मग़फ़िरत का ज़रिया होंगी और उस दिन जब लोगों के आमाल ज़ाहिर होंगे और हिसाबो किताब होगा तो ये आज का काम उस दिन के लिये आराम होगा। इंशा अल्लाह।

अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

उन्हें वसीला क्यूँ ना बनाऊँ

खलीफा -ए- आला हज़रत, हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहीमहुल्लाह त'आला से एक शख्स ने पूछा :

तवस्सुल के जाइज़ होने पर क्या दलील है?

आप ने फरमाया कि अल्लाह त'आला का ये फरमान दलील है :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (المائدۃ:35)

तर्जुमा : ए ईमान वालों! अल्लाह त'आला से डरो और उसी की तरफ वसीला तलाश करो।

उस शख्स ने कहा कि इस आयत में तो वसीला से मुराद आमाल -ए- सालिहा हैं।

आप रहीमहुल्लाह ने फरमाया : हमारे आमाल मक़बूल हैं या मरदूद?

उस ने कहा : मुझे क्या मालूम?

आप ने फरमाया : हुज़ूर ﷺ बारगाह -ए- खुदा में मक़बूल हैं या नहीं?

उस ने कहा : यक़ीनन मक़बूल हैं।

आप ने फरमाया : जब आमाल -ए- सालिहा को वसीला बनाया जा सकता है जिन की क़ुबूलियत मश्कूक है, तो हुज़ूर -ए- अकरम को वसीला क्यों नहीं बनाया जा सकता जो यक़ीनन मक़बूल हैं।

(انظر:عقائد و نظریات، چوتھا باب، ص137)

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

इश्क़ से अल्लाह की पनाह

मैदान -ए- अराफात में, सैय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के सामने एक नौजवान पेश किया गया जो इस क़द्र कमज़ोर हो चुका था कि उस की हड्डियों पर माँस भी बाकी नहीं रहा था।

आप ने पूछा : इस के साथ ऐसा क्यों हुआ?

लोगों ने कहा : इश्क़ ने इस का ये हाल कर दिया।

उस दिन से सैय्यिदुना इब्ने अब्बास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु रोज़ाना इश्क़ से अल्लाह की पनाह माँगते थे।

(انظر: الداء والدواء، فصل: ودواء هذا الداء القتال، ص497، ط دار عالم الفوائد مكة المكرمة، س1429ھ)

जो खुश नसीब इश्क़ में मुब्तिला नहीं हुये, उन्हें आफियत की दुआ करनी चाहिये, क्योंकि,

बचता नहीं है कोई भी बीमार इश्क़ का
या रब! ना हो किसी को ये आज़ार इश्क़ का।

और जो मुब्तिला हो चुके हैं, उन्हें हिम्मत हारने के बजाये अपने करम वाले रब की तरफ देखना चाहिये।

उस के खज़ानों में कोई कमी नहीं, वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अता कर सकता है।

مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا

"तेरे रब की अता पर कोई पाबन्दी नहीं"

उलझे हुये ज़हन को सुकूं देता है
इन्सान को सोच से फ़ुज़ूं देता है।

देखा होगा कभी बरसता बादल??
वो देने पे आ जाये तो यूँ देता है!!

अल्लामा क़ारी लुक़मान शाहिद
है वो रहमत का दरिया हमारा नबी

इमाम क़ाज़ी इयाज़ मालिकी अलैहिर्रहमा लिखते हैं :

एक रिवायत में है कि हुज़ूर ﷺ ने हज़रते जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरयाफ्त फरमाया कि क्या मेरी रहमत से तुम को भी कुछ हिस्सा मिला है? अर्ज़ की :

نعم، كنت اخشى العاقبة فامنت لثناء الله عزوجل على بقوله "ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع، ثم امين"

(التکویر:20،21)

हाँ, मैं अपने अंजाम वा आखिरत से डरता था, अल्लाह त'आला ने मेरी मद्ह में ये आयत -ए- करीमा "जो कुव्वत वाला है, मालिक -ए- अर्श के हुज़ूर इज़्ज़त वाला वहाँ उस का हुक्म माना जाता है, अमानतदार है" आप ﷺ पर नाज़िल फरमायी तो अब बे खौफ हूँ।

(انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ص58۔

و شفا شریف اردو، ص24، 25۔

و المواهب اللدنية، ج3، ص170)

हमारे आक़ा ﷺ रहमतल्लुल आलमीन हैं और कोई ऐसा नहीं है जिसे आप ﷺ की रहमत से हिस्सा ना मिला हो।

जिस की दो बूँद है कौसरो सलसबील
है वो रहमत का दरिया हमारा नबी

अब्दे मुस्तफ़ा

बहार -ए- शरीअ़त - इल्म का ख़ज़ाना

किताबें तो बहुत हैं लेकिन बहार -ए- शरीअ़त की बात ही जुदा है।
उर्दू ज़ुबान में कोई ऐसी किताब नहीं जिसे बहार -ए- शरीअ़त के मुक़ाबले में पेश किया जा सके।
ये किताब बीस (20) हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस के इब्तिदाई छ: (06) हिस्सों के बारे में खुद साहिब -ए- बहार -ए- शरीअ़त, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि इस में रोज़मर्रा के आम मसाइल हैं, इन छ: हिस्सों का हर घर में होना ज़रूरी है ताकि अक़ाइद, तहारत, नमाज़, ज़कात और हज के फिक़्ही मसाइल आम फहम सलीस उर्दू ज़ुबान में पढ़ कर जाइज़ो नाजाइज़ की तफसील मालूम की जाये।

इस किताब का पहला हिस्सा जो अक़ाइद के बयान पर है क़ाबिल -ए- तारीफ है।

बेहतरीन अंदाज़ में अक़ाइद -ए- अहले सुन्नत को बयान किया गया है, इस में जो तर्ज़ अपनाया गया है वो दिल लुभाने वाला है। अक़ाइद -ए- बातिला का इल्मी अंदाज़ में रद्द भी किया गया है, उलमा हो या आवाम सब को इस का मुताला करना चाहिये।

रोज़ाना दर्स देने के लिये ये एक बहतरीन किताब है, कई मस्जिदों में ऐसी किताबों से दर्स दिया जाता है जिस में हिकायत वगैरा की कसरत होती है जिससे सामईन (सुनने वाले) को कोई खास फाइदा नहीं होता, अगर इस किताब से दर्स दिया जाये तो अक़ाइद की मालूमात के साथ साथ रोज़मर्रा के मसाइल भी मालूम हो जायेंगे।

इस किताब की अहमियत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस की तस्नीफ का अर्सा तक़रीबन 27 साल है।

इस किताब का एक नाम "आलिम बनाने वाली किताब" भी है और यक़ीनन जो शख्स इस किताब को मुकम्मल पढ़ कर अच्छी तरह समझ ले वो आलिम है।

उलमा -ए- अहले सुन्नत ने भी इस किताब को आलिम बनाने वाली किताब तस्लीम किया है।

आज हमारी आवाम बल्कि अफसोस, कई खवास भी किताबों से दूर हो चुके हैं और यही वजह है कि एक अच्छी खासी तादाद इल्म से दूर हो गयी।

बहार -ए- शरीअ़त जैसी किताब हमारे दरमियान मौजूद है और ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक अनमोल खज़ाना है, जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी किताबों को खूब आम करें और खुद भी पढ़े।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

औलाद के जज़बात

मैने एक आदमी को देखा जो अपनी बेटी को सिर्फ इस लिये ज़दो कोब कर रहा था कि उस ने ये क्यों कहा :

"अब्बू जी, मेरा फुलाँ जगह निकाह कर दो।"

मुझे बहुत तरस आया, मैने उसे कहा : मेरे भाई! इसे बिल्कुल ना मारो, जब बेटा बेटी बोल कर कह दें तो उन का निकाह कर देना चाहिये।

वैसे आपके लिये बहुत ज़रूरी है कि बेटी का निकाह करने से पहले उस की राय लें। अगर उसका दिल किसी और तरफ माइल हो तो उस का लिहाज़ करें, ताकि बाद में फितना पैदा ना हो।

इश्क़ बहुत बड़ी बीमारी है, इस से बड़ी बीमारी क्या हो सकती है!!

(ملخصًا: المبسوط للسرخسی، کتاب النکاح، ج4، ص192، 193، داراحیاء التراث العربی بیروت)

बाज़ बच्चे जब जवानी की दहलीज़ पर क़दम रखते हैं तो उन में इश्क़ो मुहब्बत वाली हिस्स बेदार हो जाती है। ये एक फितरती ज़ौक़ है, जिस के साथ मुक़ाबला नहीं किया जा सकता, हाँ वालिदैन का ये फ़र्ज़ ज़रूर है कि इस का दुरुस्त रास्ता मुतअय्यन करें।

मशहूर सूफी और वलीयुल्लाह, हज़रते यहया बिन माज़ राज़ी रहीमहुल्लाह से किसी ने कहा :

आप का बेटा फुलानी औरत पर आशिक़ हो गया है।

आप ने फरमाया : सारी तारीफ उस अल्लाह के लिये जिस ने मेरे बेटे को इंसानों वाली तबियत अता फरमायी।

(انظر: الداء والدواء، ص508، ط دار عالم الفوائد مكة المكرمة، س1429ھ)

एक अरबी शायर कहता है :

اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الهوى

فقم واعتلف تبنا فانت حمار

जब तुम किसी पर आशिक़ नहीं हुये तो तुम ने मुहब्बत को समझा ही नहीं, इस लिये उठ कर घास चरो, तुम गधे हो (और मुहब्बत भरे जज़बात को समझना इंसानों का काम है, गधे का नही।)

इस सिलसिले में कुछ गुज़ारिशात हैं :

(1) शुरू से ही अपने बच्चों की निगरानी करें और उन्हें गैर महरम औरतों/मर्दों में घुलने मिलने से बाज़ रखें।

(2) उन्हें रसूल -ए- पाक ﷺ की मुहब्बत सिखायें ताकि वो इश्क़े रसूल में परवान चढ़े, और यादे हुज़ूर में ही आँसू बहायें।

(3) अगर आप शुरू से बच्चों की निगाहदश्त (देख भाल) नहीं कर सके और वो इश्क़िया मामलात में मुब्तिला हो गये हैं तो फितरत के खिलाफ जंग ना करें, बल्कि उन के निकाह का बन्दोबस्त करें।

(4) आप का बेटा/बेटी जिस जगह निकाह के लिये ज़िद्द करे, अगर वो लोग आप की समझ से बाहर हैं तो बच्चों को प्यार और दलील से समझायें, अगर उन के मामलात हद्द से बढ़े ना हुये तो मान जायेंगे लेकिन अगर मामलात हद्द से तजावुज़ कर गये हुये तो आप मान जाइयेगा।

(5) जिस तरह आप बचपन में अपने बच्चों की हर खुशी का लिहाज़ रखते आये हैं, इसी तरह निकाह के मामले में भी रखें।

बहुत दफा ऐसा हुआ होगा की आप के बेटे/बेटी ने आप के खिलाफे मिजाज़ काम किया होगा, लेकिन आप उन की खुशी के लिये खामोश रह गये, और उन्हें दुआएं दे कर अपना दिल साफ कर लिया।

इसी तरह निकाह के मामले में भी उन की पसंद का लिहाज़ करें, और उन्हें दुआ-ए- खैर से नवाज़ कर चुप हो जायें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा।

अल्लामा क़ारी लुक़मान शाहिद साहिब

सब पे नज़रे करम

हज़रते जरीर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से मरवी है कि नबीय्ये करीम ﷺ एक घर में दाखिल हुये तो घर (लोगों से) भर गया।

हज़रते सैय्यिदुना जरीर वहाँ गये तो (अंदर जगह ना होने की वजह से) घर के बाहर बैठ गये।

नबीय्ये करीम ﷺ ने उन्हें देखा तो अपना एक कपड़ा लपेट कर उन की तरफ फेंका और फरमाया कि इस पर बैठ जाओ।

हज़रते सैय्यिदुना जरीर ने कपड़ा पकड़ा और अपने चेहरे पर लगा कर उसे बोसा दिया।

(انظر:الانوار فی شمائل النبی المختار اردو ترجمہ بہ نام شمائل بغوی، ص225،226،ر245)

सहाबा की तादाद लाखों में होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि नबीय्ये करीम ﷺ की नज़रे इनायत से कोई महरूम रहा हो।

आप ﷺ हर एक की तरफ मुतवज्जेह होते थे और इसी तरह आप ﷺ अपनी उम्मत की भी खबर रखते हैं।

अब्दे मुस्तफ़ा

क्या इस्लाम प्यार करने की इजाज़त देता है?

एक लड़के ने मुझसे सवाल किया कि क्या इस्लाम किसी लड़की से प्यार करने की इजाज़त देता है?

उस की मुराद "शादी से पहले" वाला प्यार थी।

मैंने कहा : जिस तरह आजकल प्यार होता है, उसकी इज़ाजत तो नहीं देता लेकिन अगर किसी को प्यार हो जाए तो उसकी रहनुमाई जरूर करता है।

अव्वलन तो प्यार की बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो सब्र से काम लेना चाहिए, प्यार एक गैर इख्तियारी अमल है जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, ये फितरी (नेचुरल) है जिससे जंग करके जीतना मुमकिन नहीं।

प्यार करने वालों को डांटने, मारने और सख्ती करने से बेहतर है कि उन्हें प्यार से समझाया जाए और जहां तक हो सके उनकी मदद की जाए यानी उनका निकाह करवा दिया जाए।

अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करते हैं तो फितने का अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन है।

नबीय्ये करीम ﷺ का फरमान इस सिलसिले में हर्फे आखिर है :

لم یر للمتحابین مثل النکاح (ابن ماجه، مشکوٰة)

दो प्यार करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई हल नज़र नहीं आता।

क्या प्यार करना गुनाह है?

कई लड़के और लड़कियों के ज़हन में ये सवाल आता होगा कि क्या प्यार करना गुनाह है? इस का जवाब यही है कि जो प्यार का तरीक़ा इस ज़माने में राईज है वो गुनाह नहीं बल्कि कई गुनाहों का मजमूआ है।

अभी जिस प्यार का बाज़ार गर्म है उस की शुरूआत ही गलत तरीक़े से होती है। एक लड़का, जिस ने पहले से सोच रखा होता है कि मुझे अपने "सपनों की रानी" तलाश करनी है और एक लड़की जिसे अपने "सपनों के राजकुमार" की तलाश होती है।

अब ज़ाहिर सी बात है कि उसे ढूँढने के लिये निगाहें दौड़ानी होगी और जब तक वो नज़र आयेगी या आयेगा तब तक हम गुनाहों की दहलीज़ पर क़दम रख चुके होंगे।

जिस से निकाह करना हराम नहीं है, उसे देखना जाइज़ नहीं है लिहाज़ा मालूम हुआ कि प्यार की गाड़ी शुरू होने से पहले ही गुनाहों का सिलसिला शुरू हो गया। ये तो शुरूआत थी, फिर आगे आगे देखिये होता है क्या..........,

फिर दिल की बात बताई जाती है यानी प्रपोज किया जाता है, उस से भी पहले बातें की जाती हैं और ऐसे काम किये जाते हैं जिस से सामने वाला/वाली खुश (इम्प्रेस) हो जाये, ये सब गुनाह नहीं तो और क्या है?

हाँ अगर किसी को ऐसा प्यार हुआ कि अचानक किसी पर नज़र पड़ गयी और अपना दिल खो बैठा तो अब उसे चाहिये कि निकाह की कोशिश करे और कामयाबी ना मिले तो सब्र करे।

गुनाहों भरे मराहिल (स्टेप्स) यानी प्रपोज करना, तोहफे देना, इम्प्रेस करने के लिये शोब्दे (कर्तब) दिखाना वगैरा के बजाये अल्लाह त'आला से खैर तलब करने और जाइज़ तरीक़े से प्यार को पाने की कोशिश करे।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

बेटी विदा हो रही है

हज़रते असमा फज़ारी रहीमहुल्लाह की बेटी विदा हो रही है.....,
आप रहीमहुल्लाह ने रुख्सती के वक़्त अपनी बेटी से फरमाया :
बेटी! आज अगर तुम्हारी वालिदा ज़िन्दा होती तो मुझ से ज़्यादा वो इस बात की हक़दार होती कि (इस मौक़े पर) तुम्हारी तरबियत करे मगर अब मेरा हक़ बनता है कि तुम्हें समझाऊँ लिहाज़ा, जो कुछ मै कहने जा रहा हूँ उसे अच्छी तरह समझ लो।
जिस घर में तुम ने परवरिश पायी अब उस से रुख्सत हो कर तुम ऐसे बिछौने की तरफ जा रही हो जिसे तुम नहीं पहचानती और ऐसे रफीक़ के पास जा रही हो जिस से तुम ना मानूस हो लिहाज़ा, तुम उस के लिये ज़मीन बन जान वो तुम्हारे लिये आसमान बन जायेगा।
तुम उसके लिये बिस्तर बन जान वो तुम्हारे लिये सुतून (पिलर) बन जायेगा,
तुम उस की बान्दी (कनीज़) बन जान वो तुम्हारा गुलाम (ताबेदार) बन जायेगा,
ना तो हर वक़्त उस के क़रीब रहना कि वो तुम से बे ज़ार ही हो जाये और ना इतना दूर होना कि वो तुम्हें भूल ही जाये बल्कि अगर वो खुद तुम्हारे क़रीब हो तो तुम भी उस के क़रीब हो जाना और अगर तुम से दूर हो तो तुम भी उस से दूर रहना,

उस के नाक, कान और आँख की हिफाज़त करना (इस तरह) कि वो तुम से खुशबू ही सूँघे, अच्छी बात के इलावा कुछ ना सुने और खूबसूरती के इलावा कुछ ना देखे।

(انظر: قوت القلوب، الفصل الخامس والاربعون، ج2، ص421 بہ حوالہ اسلامی شادی، ص98،99)

इन चंद नसीहतों में खुशियों का ज़खीरा पोशीदा है।
लड़कियाँ अगर इन बातों पर अमल करें तो उन की अज़्दवाजी ज़िन्दगी (मेरिड लाईफ) हमेशा आबाद रहेगी।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

जन्नती ज़ेवर - औरतों के लिये एक बेहतरीन किताब

"जन्नती ज़ेवर" इस नाम से मिलते जुलते नामों की और भी कुछ किताबें हैं, हम जिस की बात कर रहे हैं वो हज़रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहिर्रहमा की तस्नीफ है।
ये किताब औरतों के लिये बहुत मुफ़ीद है।
किताब के आगाज़ में इख्तिसार के साथ बयान किया गया है कि हुज़ूर -ए- अकरम ﷺ की आमद से पहले औरतों के कितने बुरे हालात थे और उन के हुक़ूक़ (राइट्स) को किस तरह क़दमों तले रौंदा जा रहा था, फिर हुज़ूर ﷺ की आमद से औरतों को क्या इज़्ज़तें और बुलंदियाँ नसीब हुई।
इस के बाद किताब में औरत की ज़िंदगी के मामलात पर तफसीली कलाम किया गया है। बचपन, बुलूगत, निकाह वगैरा अनावीन के ज़िमन में बीवी को कैसा होना

चाहिये, बहू के फराइज़, एक दूसरे के हुक़ूक़, पर्दे के अहकाम वगैरा को बयान किया गया है।

फिर अखलाक़ियात पर लिखते हुये मुसन्निफ ने बुरी आदतों और अच्छी आदतों को बयान किया है।

गुस्सा, हसद, लालच, कंजूसी, तकब्बुर, चुगली, गीबत, झूठ, बद गुमानी, रियाकारी और फिर क़ना'अत, हिल्म, सब्र, शुक्र, हया और सादगी की तफसील शामिल -ए- बयान है।

रुसूमात का बयान दिलचस्प होने के साथ साथ मालूमाती भी है और ज़माने के मुताबिक़ ज़रूरी मसाइल इस में दर्ज किये गये हैं।

जहेज़ की रस्म, तहवारों की रस्में, मुहर्रम की रस्में और फिर मजालिस वा फातिहा वगैरा के उनवान देखने को मिलते हैं।

ईमानियात, इबादात और इस्लामियात के बयान में सैकड़ों फिक़्ही मसाइल मौजूद हैं जिन का सीखना हर औरत पर फ़र्ज़ हैं। इस के अलावा सुन्नतों और आदाब को भी बयान किया गया है।

उठने बैठने के तरीक़े से ले कर खाने पीने और सोने जागने तक का बयान मौजूद है।

आखिर में उन नेक और पाक औरतों का तज़्किरा किया गया है जिन की ज़िन्दगी औरतों के लिये नमूना है।

उम्महातुल मोमिनीन, कई सहाबियात और सालिहात की ज़िंदगियों के कुछ पहलुओं को नक़ल किया गया है और फिर हिदायात बयान करने के बाद अमलियात के तहत मुख्तलफ सूरतों और आयात से इलाज बयान करते हुये किताब को तकमील तक पहुँचाया गया है।

औरतों को इस किताब का मुताला करना चाहिये, ये उर्दू और हिन्दी में मौजूद है।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

प्यार और खुदकुशी

मेरे एक दोस्त की बहन को किसी लड़के से प्यार हो गया।

उस ने घर में निकाह करने की ज़िद्द की लेकिन घर वालों ने लड़का पसंद ना होने की वजह से मना कर दिया।

इसरार करने पर भी जब घर वाले राज़ी ना हुए तो ना उम्मीद हो कर उस ने खुद को फाँसी पर लटका कर जान दे दी!!!

ये तो एक वाक़िया है, ऐसे ना जाने कितने वाक़ियात रूनुमा हुये हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ हर साल हज़ारों लोग प्यार में नाकाम होने की वजह से खुदकुशी करते हैं।

हमें लगता है कि ऐसा कुछ होने के बाद घर वालों को अफसोस के साथ साथ इस बात का अहसास भी ज़रूर होता होगा कि उन्होने निकाह से इंकार कर के एक बड़ी गलती की है।

अगर इन मामलात में निकाह करवा दिया जाये तो ऐसे हादसात नहीं होंगे।

पहली गलती तो यही है कि बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी और जब मामला यहाँ तक आ जाये तो उन की मदद करने के बजाये कोई दूसरी गलती ना करें।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

रिश्ता जोड़ दें या फिर तोड़ दें?

इरशादे बारी त'आला है :

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۗءُ الدَّارِ (الرعد:25)

"और जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक़्म फ़रमाया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं उनके लिए लानत ही है और उनके लिए बुरा घर है"

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :
जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में भी जल्द ही दे दी जाये और उसके लिए आखिरत में भी अज़ाब रहे वो बगावत और क़तअ़ रहमी से बढ़ कर नहीं (यानी ये गुनाह यहाँ और आखिरत दोनों में अज़ाब का सामान है)

(ترمذی، کتاب صفة القیامة، ۴/ ۲۲۹، الحدیث: ۲۵۱۹)

यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो रिश्तो में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपसी रिश्तेदारों में ऐसे मशवरे पेश करते रहते हैं जिनसे एक अच्छा काम बनते बनते रुक जाता है वो इस बात का थोड़ा भी ख्याल नहीं करते कि उनके मशवरे इस्लाह के नाम पर रिश्ते जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं
दूसरे वो है जो उनकी बातों को पत्थर की लकीर समझ कर रिश्तों को जोड़ने वाले अ़मल से दूरी इख्तियार कर लेते हैं।

हकीम उल उम्मत हज़रत अ़ल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अ़लैह एक हदीस के तहत फ़रमाते हैं कि मुसलमानों से अच्छा गुमान रखना उन पर बदगुमानी ना करना ये भी अच्छी इबादत में से एक इबादत है।

(مرآۃ المناجیح،۶/۶۲۱)

एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रदिअल्लाहु तआला अ़न्हु अहादीस मुबारक बयान कर रहे थे तो फ़रमाया :

वो शख्स जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो वो हमारी महफिल से उठ जाये!

एक नौजवान उठकर अपनी फूफी के यहाँ गया और कई साल पुराना झगड़ा खत्म किया और फूफी को राजी कर लिया।

(الزواجر، قطع الرحم،۲/۱۵۳)

रिश्तेदारी एक बहुत प्यारा अहसास है जिसे महसूस करने की ज़रूरत है ज़रा-ज़रा सी बातों पर रिश्ते की डोर तोड़ देना दुरुस्त नहीं है इससे जहां इत्तिहाद पर फ़र्क़ पड़ता है वहीं कई दिल भी टूटते हैं जो कि बहुत बुरी बात है।

रिश्ते कीजिये, रिश्तेदारों से अच्छी तरह पेश आयें और यही दीने इस्लाम का मिजाज़ भी है किसी को अहसासे कमतरी का शिकार ना होने दीजिये और जोड़ने का काम कीजिये, ना कि तोड़ने का।

इस दुनिया में अकेले तो किसी ने रहना नहीं फिर क्यों हम तोड़ने का काम करें आज हम ऐसा करेंगे तो कल ज़रूर हमें इसका जवाब और हिसाब देना होगा।

अल्लाह त'आला हमें रिश्तो की अहमिय्यत को समझने और रिश्ते जोड़ने की तौफीक़ दे।

अल्लाह हम मुसलमानों को एक जिस्म की तरह मुत्तहिद बनाये। रब्बे क़दीर अपने नबी उनकी अज़्वाज और सहाबा -ए- किराम के दरमियान क़ाइम होने वाली

प्यारी रिश्तेदारी के सदक़े हमें जोड़ने वालों की सफ़ में रखें और तोड़ने के गुनाह से बचाये।

दुख्तर ए मिल्लत (रुक्न अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल)

इमाम हसन को ज़हर किस ने दिया?

(सिलसिला "करबला से मुतल्लिक कुछ झूठे वाकियात" से मुन्सलिक)

इमाम हसन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु को ज़हर दे कर शहीद किया गया और मशहूर है कि ज़हर देने वाली आप की बीवी जा'अदा बिन्ते अश'अष थी।

बाज़ उलमा ने भी ज़हर खुरानी की निस्बत जा'अदा बिन्ते अश'अष की तरफ की है लेकिन बाज़ उलमा ने इस को नाक़ाबिल -ए- क़ुबूल और हक़ीक़त के खिलाफ बताया है।

सब से पहले हम उन उलमा में से चन्द का ज़िक्र करते हैं जिन्होने ज़हर देने की निस्बत जा'अदा बिन्ते अश'अष की तरफ की है :

शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी रहिमहुल्लाह

(سر الشہادتین، ص14، 25)

इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहिमहुल्लाह

(تاریخ الخلفاء، 192)

इमाम इब्ने हजर हैतमी रहिमहुल्लाह

(الصواعق المحرقہ، ص141)

अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी रहिमहुल्लाह

(آئینۂ قیامت، ص21)

और मुफ्तिये आज़म -ए- हिन्द, अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान रहिमहुल्लाह ने इस को दुरुस्त क़रार दिया है।

(فتاوی مفتی اعظم ہند، ج5، ص306 تا310)

अब उन उलमा के अक़वाल पेश किए जाते है जिन का मौकिफ़ इस के खिलाफ है :

हज़रते अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस बाबत लिखते है कि मोअर्रिखीन ने ज़हर खुरानी की निस्बत जा'अदा बिन्ते अश'अष की तरफ की है लेकिन इस रिवायत की कोई सनद -ए- सहीह दस्तियाब नही हुई और बगैर दलील किसी मुसलमान पर क़त्ल का इल्ज़ाम किस तरह जाएज़ हो सकता है।

तारीखें बताती है के इमाम हुसैन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने अपने भाई से ज़हर देने वाले के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया और इस से ज़ाहिर है इमाम हुसैन को ज़हर देने वाले का इल्म ना था।

इमाम हुसैन ने भी किसी का नाम नही लिया तो अब उन की बीवी को क़ातिल मुअय्यन करने वाला कौन है

(دیکھیے: سوانح کربلا، ص101، 102، ملخصًا)

फ़क़ीह -ए- मिल्लत, हज़रते अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी,
शैखुल हदीस, हज़रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी,
हकीमुल उम्मत, मुफ़्ती अहमद यार खान नईमी,
हज़रते अल्लामा मुहम्मद शब्बीर कोटली,

हज़रते अल्लामा अब्दुस सलाम क़ादरी,
हज़रते अल्लामा मुफ़्ती गुलाम हसन क़ादरी और हज़रते अल्लामा क़ारी मुहम्मद अमीनुल क़ादरी रहिमहुमुल्लाह ने यही मौकिफ़ इख़्तेयार किया है

(دیکھیے: فتاوی فقیہ ملت، ج2، ص406، 407،

خطبات محرم، ص279، 280،

حقانی تقریریں، ص226،

حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، ص69،

شہادت نواسۂ سید الابرار، ص288،

تاریخ کربلا، ص195 تا197،

کربل کی ہے یاد آئی، ص89، 90)

यही दूसरा क़ौल ज़्यादा सहीह है और एहतेयात के करीब है, महज़ मशहूर होने की बिना पर इमाम हसन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की बीवी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नही है।

अब्दे मुस्तफ़ा

छोटा परिवार सुखी परिवार?

कुछ समझदार लोगो की समझ मे ये बात आई है के छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, एक शादी करो और दो बच्चे बस इतना काफी है हालांकि ये समझदारी वाली बात नही है।
अपनी समझ को थोड़ी देर के लिए आराम करने दें और इस तहरीर को पढ़ें।

रसूल -ए- करीम ने ग्यारह औरतो से निकाह फरमाया और आप की चार बांदिया भी थी, आप की अवलाद -ए- किराम की तादाद सात है।

हज़रते अबु बकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 4 बीवियां थी जिन से आप की 6 अवलाद थी।

हज़रते उमर फारूक रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने 10 औरतो से निकाह फरमाया जिन से आप की 15 अवलाद थी। आप के पोतो, पोतियों, नवासों और नवासियो कि तादाद 29 है।

हज़रते उस्मान ग़नी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 8 बीविया थी और आप की अवलाद की तादाद 16 है।

हज़रते मौला अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने 9 औरतों से निकाह फरमाया और आप की अवलाद की तादाद 36 है।

हज़रते ज़ुबैर बिन अव्वाम ने 9 औरतो से निकाह फरमाया जिन से आप की 20 अवलाद थी।

हज़रते अब्दुर रहमान बिन औफ ने 15 औरतो स निकाह फरमाया और आप की अवलाद की तादाद 28 है।

इमाम हसन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 10 से ज़ाएद बीविया थी जिन से आप नई 17 या 18 अवलाद थी।

इमाम हुसैन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने 5 निकाह फरमाए और आप की अवलाद की तादाद 6 है।

हज़रते तल्हा बिन उबैदुल्लाह रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की अवलाद की तादाद 15 है।

हज़रते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की बीवियों की तादाद 4 और अवलाद कि 6 है।

हज़रते साद बिन अबी वक़्क़ास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने 11 औरतो से निकाह फरमाया और आप की अवलाद की तादाद 36 है।
हज़रते सईद बिन ज़ैद रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की अवलाद की तादाद 31 है।
हज़रते हसन मुसन्ना की 5 बीविया थी।
हज़रते उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की 3 बीविया और 1 बांदी थी जिन से आप की 16 अवलाद थी
हज़रते बाबा फरीद गंजे शकर रहिमहुल्लाह ने 4 निकाह फरमाए और आप की अवलाद की तादाद 8 है।
शैख़ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहिमहुल्लाह ने 2 निकाह किए जिन से आप की अवलाद 10 थी।
ये हम ने कुछ हस्तियों के नामो का ज़िक्र किया है जो हम से ज़्यादा समझदार और इबादत गुज़ार थे। पूछना ये है की क्या इन हज़रात को मालूम नही था कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है?
ये फैमिली प्लानिंग करना अच्छे लोगो का काम नही है बल्कि अच्छे लोग तो वो है जिन की ज़्यादा बीविया और ज़्यादा अवलाद है।
अपनी सोच को बदले ताकि आप को सुखी परिवार की तारीफ मालूम हो सके।

अब्दे मुस्तफ़ा

जन्नती बाप के काँधे पर जहन्नमी बेटा

(सिलसिला "करबला के कुछ झूटे वाक़ियात" से मुन्सलिक)

हज़रते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के बारे में किसी जाहिल ने ये झूटी रिवायत घड़ी है कि एक मरतबा आप यज़ीद को अपने काँधे पर बिठाये

हुज़ूर ﷺ की खिदमत में हाज़िर हुये तो आप ﷺ ने फरमाया कि जन्नती बाप के काँधे पर जहन्नमी बेटा सवार है।

इस रिवायत के मुतल्लिक़ हज़रते अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि ये रिवायत मनगढ़त और झूट है।

हुज़ूर की हयात -ए- ज़ाहिरी में यज़ीद पैदा ही नहीं हुआ था बल्कि हुज़ूर के विसाल के 15 या 16 या 17 साल के बाद पैदा हुआ।

यज़ीद की पैदाइश 25 हिजरी या 26 हिजरी या 27 हिजरी में हुई है, रिवायात मुख्तलफ हैं। जिस ने रिवायत बयान की उस ने हुज़ूर ﷺ पर झूट बाँधने की वजह से अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया, बुखारी वगैरा तमाम कुतुब में ये हदीस है जो 40-50 सहाबा से मरवी है :

जो मुझ पर झूट बाँधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाये।

(مشکوٰۃ، ص53)

(فتاوی شارح بخاری، ج2، ص34، ملخصًا)

बहरुल उलूम, हज़रते अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाह इस रिवायत के मुतल्लिक़ लिखते हैं कि बचपन में हम ने जाहिलों की ज़ुबानी सुना था कि हज़रते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु यज़ीद को अपने काँधे पर.....**अलख**

ये बात इस तरह झूट है कि सब जानते हैं कि हुज़ूर ﷺ ने 10 हिजरी में पर्दा फरमाया और यज़ीद की पैदाइश 26 हिजरी में हुई तो जो शख्स हुज़ूर के पर्दा फरमाने के 16 साल बाद पैदा हुआ उस को हुज़ूर ﷺ ने कब हज़रते अमीर -ए- मुआविया के काँधे पर देखा और कब उस को जहन्नमी बताया।

(فتاوی بحر العلوم، ج6، ص340)

फक़ीह -ए- मिल्लत, हज़रते अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहीमहुल्लाह ने भी इस रिवायत को अपनी दो किताबों में बातिल क़रार दिया है।

(انظر: خطبات محرم، ص305۔

وسیرت سیدنا امیر معاویہ، ص17، 18)

ऐसी रिवायत बनाने वालों को मानना पड़ेगा, क्या अक़्ल पायी है।

किसी को भी किसी से मिला देते हैं, इन्हें हयात और वफ़ात से कोई मतलब ही नहीं है।

वो लोग भी क़ाबिल -ए- ज़िक्र हैं जो ऐसी रिवायात को धड़ल्ले से बयान करते हैं।

तीन तलाक़ में ये भी

तीन तलाक़ के मस'अले को लेकर जो कुछ भी हुआ, उस के हल के लिये जिन उलमा -ए- अहले सुन्नत ने भी कोई किरदार निभाया वो सब क़ाबिल-ए- तारीफ हैं, सब ने अच्छा काम किया और हम उन के लिये दुआ गो हैं लेकिन इस का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बात होनी चाहिये, हम उसी पहलू को आप के सामने रखना चाहते हैं।

बात ये है कि जिन औरतों को तलाक़ दे कर छोड़ दिया गया है उन से निकाह करेगा कौन? उन का सहारा बनने के लिये कौन तैय्यार होगा? उन का हाथ थामने के लिये कौन आगे बढ़ेगा?

जिन की शादी नहीं हुई है क्या वो एक तलाक़ शुदा औरत से निकाह के लिये तैय्यार होंगे? अगर कुँवारे ये काम नहीं करेंगे तो क्या जिन की शादी हो चुकी है वो हिम्मत कर सकते हैं? फिर उन औरतों की ज़िंदगियों का क्या?

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है।

एक जवान कुँवारा लड़का किसी बेवा से निकाह नहीं करना चाहता और एक शादी शुदा शख्स चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर उस ने कुछ ऐसा करने की सोची भी तो पहली बीवी और उस के घर वाले और फिर अपने घर वाले ही रुकावट बन जायेंगे अब जब ऐसे हालात हैं तो एक बेवा के सामने कौन सा रास्ता बचता है? या तो वो खुदखुशी कर लेगी या मज़दूरी करके ज़िंदगी बसर करेगी और तीसरा रास्ता वो है जिसे हम बयान नहीं कर सकते।

हम किस मुँह से उन औरतों के हक़ की बात करें जिन्हें तलाक़ दे कर घर से निकाला जा चुका है? हम खुद उन्हें अपनाने के लिये तैय्यार नहीं हैं। हमारे नबी ﷺ ने पहला निकाह किन से किया? इस में हमारे लिये कोई पैगाम है या नहीं? हम कब इस सुन्नत पर अमल करेंगे और कब तीन चार शादियों का रिवाज आम होगा? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिन के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है।

अब्दे मुस्तफ़ा

हलाला - आसान लफ़्ज़ों में

हलाले का मस'अला कोई आम (Common) मस'अला नहीं बल्कि खास (Special) मस'अला है जो एक खास (Particular) वजह से पेश आता है।

इस में किसी पर कोई ज़ुल्म नहीं किया गया है बस समझने की ज़रूरत है।

अल्लाह त'आला फरमाता है :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

(البقرة:230)

"फिर अगर शौहर बीवी को (तीसरी) तलाक़ दे दे तो अब वो औरत उस के लिये हलाल ना होगी जब तक दूसरे खाविन्द से निकाह ना करे।"

इस आयत में वाज़ेह तौर पर (Clearly) बयान किया गया है कि तीन तलाक़ों के बाद शौहर पर औरत उस वक़्त तक हलाल ना होगी जब तक कि किसी दूसरे शख़्स से निकाह ना कर ले और फिर वो दूसरा शख़्स तलाक़ दे दे तो पहले की तरफ लौट सकती है।

ये एक ऐसी किताब का हुक्म है जिसे हर मुसलमान अपने सीने से लगाता है और ये तसलीम करता है कि इस की हर बात हक़ है और ज़ुल्म से बिल्कुल पाक वा साफ है। अल्लाह त'आला का कोई फरमान हिकमत से खाली नहीं है, ये अलग बात है कि हमें इल्म ना हो।

इस बारे में रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान भी मौजूद है जो बुखारी, मुस्लिम, तिर्मज़ी, निसाई, इब्ने माजा, मुसनद अहमद और मिशकात में देखा जा सकता है।

हुज़ूर -ए- अकरम ﷺ ने एक औरत (जो तलाक़ के बाद दूसरे शख़्स से निकाह कर चुकी थी और अब पहले की तरफ लौटना चाहती थी, उस) से फरमाया कि तुम उस वक़्त तक पहले खाविन्द (Husband) से निकाह नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा ये (Second, Current) शौहर और तुम एक दूसरे का ज़ाइक़ा ना चख लो (यानी दूसरे शौहर के साथ हमबिस्तरी ज़रूरी है।)

(انظر: بخاری: 2639، 5260، 5317، 5792، 5825، 6084؛ مسلم: 3526، 3527، 3528؛ ترمذی: 1118؛ ابو داؤد: 2309؛ نسائی: 3285، 3437، 3438؛ ابن ماجہ: 1932؛ مشکوۃ: 3295؛ مسند احمد: 7181)

इन दलाइल को पेश करने का मक़सद ये बताना है कि हलाला किसी आलिम के घर की बात नहीं है बल्कि अल्लाह त'आला और उस के रसूल ﷺ का हुक्म है।

ये जान लेने के बाद और भी कुछ बातें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है।

सब से पहले ये जानते हैं कि हलाला क्यों होता है इसकी ज़रूरत क्या है?

हलाला - आसान लफ्ज़ों में

हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक खास मस'अला है जो एक खास वजह से पेश आता है और वो वजह है तीन तलाक़ें, अगर तीन तलाक़ें ना दी जायें तो हलाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी तलाक़ देने के बाद मामला थोड़ा अलग हो जाता है।

जब शौहर बीवी के दरमियान ना इत्तेफाक़ी हो और इतनी बढ़ गयी हो कि साथ रहना मुश्किल हो तो तलाक़ के रास्ते से बाहर निकला जा सकता है लेकिन इस के लिये तीन तलाक़ें ज़रूरी नहीं है बल्कि सिर्फ एक तलाक़ से भी ये काम हो सकता है और उस में सोच बिचार करने के लिये वक़्त भी होता है ताकि गलती महसूस होने पर रुजू किया जा सके लेकिन तीन तलाक़ों का मतलब है कि मियाँ बीवी (Wife And Husband) के दरमियान ना इत्तेफाक़ी इस क़द्र बढ़ गयी थी कि अब साथ ज़िन्दगी बसर करना मुश्किल नहीं बल्कि ना-मुमकिन हो गया था यानी तीसरी तलाक़ देने की नौबत बिल्कुल आखिरी दर्जा (Last Stage) है।

तीन तलाक़ें देना असल में ये बताना है कि अब हम किसी तरह भी साथ नहीं रह सकते, पानी सर से गुज़र चुका है।

तीसरी तलाक़ दे कर गोया ये बता दिया कि अब इत्तिफाक़ो इत्तिहाद की कोई सूरत ही बाक़ी नहीं है, अब ज़रा गौर करें कि जब बात इतनी बढ़ चुकी थी तो फिर तीन तलाक़ों के बाद शौहर बीवी एक दूसरे की तरफ वापस क्यों लौटना चाहते हैं? जिस शौहर ने बीवी को तीन तलाक़ें दे कर ये बता दिया कि अब वो इस के साथ हरगिज़ नहीं रह सकता तो फिर क्यों इस औरत को वापस चाहता है? इन बातों को मद्दे नज़र रखें तो ज़रूर समझ आ जायेगा कि हलाला के क्या फाइदे हैं।

औरतें जज़बात (Feelings) के हिसाब से बहुत नर्म (Sensitive) होती हैं जो प्यार से दो जुमले (Sentences) कह देने पर अपना सब कुछ शौहर पर क़ुरबान कर देती हैं और यही वजह है कि तीन तलाक़ें मिलने के बाद भी थोड़ी सी मुहब्बत देख कर दोबारा उसी शौहर की तरफ लौटने के लिये तैय्यार हो जाती हैं, अब ऐसी हालत में शरीअ़त उन को सहीह रास्ता दिखाती है और उन की ज़िन्दगी के मुस्तक़्बिल को बहतर बनाने के लिये एक मौक़ा देती है जिसे हम हलाला कहते हैं।

शायद कोई ते सोचे कि आखिर हलाला में कौन सी भलायी है? इस से मुस्तक़्बिल का क्या ताल्लुक़ है? तो जान लीजिये कि हलाला की जो तसवीर हमारे सामने रखी गई है वो बिल्कुल गलत है और उमूमन (Generally) हलाले के लिये जो तरीक़ा अपनाया जाता है वो गैर शरई है।

एक वो हलाला है जो हो जाता है और एक वो है जो किया जाता है, दोनों में फर्क़ है।

जिस औरत को तीन तलाक़ें दे दी गयी हैं अब उस औरत को ये मौक़ा दिया जा रहा है कि वो किसी दूसरे शख्स से निकाह करे और ये निकाह दो चार दिन की निय्यत से ना करे बल्कि उस के साथ हमेशा रहने की निय्यत से करे, इस में कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि फुलाँ शख्स से ही निकाह करना है बल्कि जिस से राज़ी हो निकाह कर ले।

दूसरे शौहर के साथ अगर खुश है तो उसी के साथ ज़िन्दगी बसर करे, पहले वाले के पास वापस आना कोई ज़रूरी नहीं है और अगर दूसरे से तलाक़ के बाद आना चाहे तो अब मना भी नहीं है, ये वो हलाला है जिसे बाज़ लोग पता नहीं क्या समझते हैं।

इस सूरत में हलाला करना नहीं पड़ता बल्कि हो जाता है और ये बिल्कुल जाइज़ है जिसे कोई समझदार गलत नहीं कह सकता।

अब एक सूरत ये है कि तीन तलाक़ें तो हो गयी लेकिन उन के छोटे छोटे बच्चे हैं और दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से उन मिया बीवी के दरमियान सुलह कराने और उन का घर दोबारा बसाने की निय्यत से औरत से निकाह करे और उस में हलाले की शर्त भी ना रखी जाये यानी ये ना कहा जाये कि निकाह के इतने दिन बाद तलाक़ दे देना, फिर अपनी मर्ज़ी से तलाक़ दे दे तो ये जाइज़ है बल्कि दूसरे शख्स को मिया बीवी में सुलह कराने का अजर भी मिलेगा।

इन दोनों सूरतों के इलावा एक तीसरी सूरत जो आवाम में राइज है वो ये है कि हलाला के लिये किसी शख्स को तलाश किया जाता है फिर उसे पैसे भी दिये जाते हैं और हलाला को धंधा बनाने वाले जाहिल क़िस्म के लोग अपनी हवस

को पूरा करने के लिये ये काम करते हैं, ये बिल्कुल नाजाइज़ है और रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसे हलाला करने और करवाने वाले दोनो पर लानत फरमायी है।

(ترمذی:1119، 1120؛ابوداؤد:2076؛نسائی:3445، 5107، 5108؛ابن ماجہ:
1934، 1935، 1936؛مسند احمد:5954، 6996، 6997، 6998، 9868،
10020، 10022، 10023؛مشکوۃ:3296)

अगरचे हलाला का ये तरीक़ा नाजाइज़ वा गुनाह है लेकिन इस तरह भी हलाला हो जायेगा, मतलब ये कि औरत अपने पहले शौहर के लिये हलाल हो जायेगी। इस तरह के मसाइल की ज़्यादा मालूमात के लिये हमें चाहिये कि उलमा की सोहबत इख्तियार करें और किताबों का मुताला करें।

अब्दे मुस्तफ़ा

दुम्बा जन्नती या दुन्यावी?

हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह त'आला की राह में क़ुरबान करने के लिये ज़िबह करना चाहा तो अल्लाह त'आला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा ले कर आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबह हुआ।

इस वाक़िये को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलफाज़ की कमी व बेशी के साथ बयान किया जाता है लेकिन जब हम कई किताबों में इस वाक़िये पर गौर करेंगे तो ज़िबह होने वाले दुम्बे के बारे में कई सवालात ज़हन में आयेंगे, मिसाल के तौर पर कुछ सवालात ज़ेल में बयान किये जाते हैं:

(1) क्या ज़िबह होने वाला दुम्बा जन्नती था?
(2) उसका गोश्त कहाँ गया?
(3) किताबों में लिखा है कि उसका गोश्त इसलिये नहीं पकाया गया क्योंकि जन्नती चीज़ों पर आग असर नहीं करती तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उस जन्नती दुम्बे की सींग में आग कैसे लगी?
(4) कई किताबों में जब उसके सींग के जलने की सराहत मौजुद हो तो फिर उसके जन्नती होने पर हर्फ आएगा या नहीं?
इस मुख्तसर से मज़मून में हम इसी तरह के कुछ सवालों के जवाबात दलाईल की रौशनी में देने की कोशिश करेंगे।
हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इस्माईल हुसैन नूरानी लिखते हैं कि जो दुम्बा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबह हुआ था वो कहाँ से आया था? इस बारे में मुख्तलिफ़ अक़्वाल हैं, अकसर मुफस्सिरीन की राय ये है कि वो दुम्बा जन्नत से उतारा गया था जैसा कि तफसीर -ए- खाज़िन, तफसीर -ए- बगवी और दीगर तफासीर में मौजूद है।

(خازن، ج4، ص39)

अब रहा ये सवाल कि उस दुम्बे का गोश्त कहाँ गया, या कैसे तक़सीम हुआ? तो इस हवाले से अल्लमा सावी मालिकी और सैय्यद सुलेमान जमाल की राय ये है कि वो दुम्बा चूँकि जन्नत से उतारा गया था और जन्नत की चीज़ों पर आग असर नहीं करती इसलिये उसका गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे परिंदों और दरिन्दों ने खा लिया। अल्लामा सावी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि उस दुम्बे के अज्ज़ा को परिंदो और दरिन्दों ने खा लिया क्योंकि जन्नत की चीज़ों पर आग असर नहीं करती और अल्लामा सैय्यद सुलेमान जमल रहीमहुल्लाहु त'आला

लिखते हैं कि ये बात साबित है कि जन्नत की किसी चीज़ पर आग असर नहीं करती, इसलिये उस दुम्बे का गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे दरिन्दों और परिन्दों ने खा लिया।

(حاشیۃ الجمل علی الجلالین، ج3، ص549)

(انظر: انوار الفتاوی، ج1، ص287، فرید بک سٹال لاہور)

इसी तरह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद यूनुस रज़ा ओवैसी लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया उसका गोश्त किसने खाया था? इस बारे में कोई रिवायत नज़र से ना गुज़री अलबत्ता ये देखा कि उसके गोश्त को परिंदों और दरिन्दों ने खाया था। तफसीर -ए- सावी में है कि ज़िबह होने के बाद मेंढे के गोश्त को दरिन्दों और परिंदों ने खा लिया क्योंकि आग जन्नती चीज़ों पर असर नहीं करती।

(صاوی، ج3، ص322)

(انظر: فتاوی بریلی شریف، ص301، زاویہ پبلشرز لاہور)

मज़कूरा इबारतों से मालूम हुआ कि वो दुम्बा जन्नती था और इसी वजह से उसका गोश्त पकाया नहीं गया लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी हमारे सामने और भी कुछ अक़्वाल हैं जिनसे उलझने मज़ीद बढ़ती हैं, चुनाँचे:

तफसीर की कई किताबें मसलन तफसीर -ए- कबीर, तफ्सीरात -ए- अहमदिया, तफसीर -ए- तबरी, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर -ए- क़ुर्तुबी और तफसीर रूहुल बयान वगैरा में सराहातन इस बात का ज़िक्र है कि उस मेंढे की सींग काबा शरीफ में थी यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदिअल्लाहु त'आला

अन्हु के ज़माने में फितना -ए- हज्जाज बिन यूसुफ के वक़्त काबे में आग लगी और वो सिंग जल गई।

अब ये समझ मे नही आता के जब उस मेंढे का गोश्त इस वजह से नही पकाया गया कि वो जन्नती है और जन्नती चीज़ों पर आग असर नही करती तो फिर उस के सींग में आग कैसे लग गयी और वो कैसे जल गयी? अब या तो वो जन्नती नही और अगर जन्नती है तो सींग का जलना मुमकिन नही। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हम मज़ीद अक़वाल नक़ल कर रहे है, मुलाहिज़ा फरमाए:

फतावा फ़क़ीहे मिल्लत में सवाल हुआ के हज़रते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया था उसे जानवरो ने खा लिया और उस की सींग काबा में रख दी गयी जो काबा में आग लगने की वजह से जल गयी तो सवाल ये है कि जब जन्नती चीज़ों को आग नही खा सकती तो फिर वो सींग कैसे जल गई?

जवाब में लिखा है कि जो मेंढा हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबह हुआ उस के बारे मुफ़स्सिरीन का इख़्तेलाफ़ है।

बाज़ के नज़दीक ये है कि वो जन्नत से आया था और बाज़ के नज़दीक ये है कि वो अल्लाह की तरफ से शब्बीर पहाड़ से उतारा गया था और अगर ये सही है के यज़ीदी हमले के वक़्त उस की सींगे जल गई थी तो जाहिर यही है के वो शब्बीर पहाड़ ही से आया था।

(انظر: فتاوی فقیہ ملت، ج2، ص281، کتاب الحظر والاباحۃ، شبیر برادرز لاہور)

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद वक़ारूद्दीन अलैहिर्रहमा से सवाल हुआ की ज़िबह होने वाले दुम्बे का गोश्त कहाँ गया? आग उठा कर ले गयी, बाँट दिया गया या दरिंदो ने खा लिया?

आप ने जवाब में इरशाद फरमाया की इस बारे में तफ़ासीर में मुख्तलिफ अक़वाल बयान किये गए है। इस पर तो इत्तेफ़ाक़ है कि उस दुम्बे के सींग खाना -ए- काबा में रखे गए थे और हुज़ूर -ए- अकरम ﷺ की ज़ाहिरी हयात तक महफूज़ थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के ज़माने में हज्जाज बिन युसुफ़ ने मक्के पर हमला किया था जिससे खाना -ए- काबा में आग लग गयी थी तो सींगो का क्या हुआ, इस का तज़किरा नहीं मिलता (और) गोश्त के मुताल्लिक़ ज़्यादा मश'हूर क़ौल ये है कि जिसे अल्लामा सावी ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है के उस का गोश्त जानवर खा गए थे।

(انظر: وقار الفتاوی، ج1، ص70، باب متعلقہ انبیاے کرام)

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती खलील खान बरकाती से सवाल हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस दुम्बे को ज़िबह फरमाया था उस की खाल किधर गयी?

जवाब में लिखते हैं कि फ़क़ीर के इल्म में नही के वो खाल कहाँ गयी?

(انظر: احسن الفتاوی المعروف بہ فتاوی خلیلیہ، ج1، ص399، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور)

मज़कूरा तमाम इबारतों से भी बात मुकम्मल तौर पर समझ में नही आती लिहाज़ा अब हम एक आखिरी इबारत को नक़ल करने पर इक्तेफ़ा करते है, इस इबारत के बाद हम कोई तब्सिरा नही करेंगे।

हज़रत अल्लामा मुहम्मद आसिम रज़ा क़ादरी से इसी बारे में सवाल किया गया तो आप ने तहक़ीक़ी जवाब तहरीर फरमाया जिसकी तस्दीक़ हज़रत अल्लामा मुफ़्ती क़ाज़ी मुहम्मद अब्दुर्रहीम बास्तवी ने फरमाई।

आप जवाब में लिखते है के ये बात तो सहीह है के जन्नती चीज़ों पर आग असर नही करती जैसा के अल्लामा सावी ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है और मेंढे की सींगो के जलने की सराहत भी कुतुब -ए- तफ़्सीर में मौजूद है मसलन तफ़्सीर -ए- कबीर, तफसीरात -ए- अहमदिया, तफ़्सीर -ए- तबरी, तफसीर इब्ने कसीर, तफ़्सीर -ए- कुर्तुबी और तफ़्सीर रूहुल बयान वगैरा।

(मज़ीद लिखते है की) उस मेंढे के जन्नती होने में इख़्तेलाफ़ है चुनाँचे एक रिवायत में है की हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो जानवर ज़िबह हुआ वो एक पहाड़ी बकरा था जो शब्बीर पहाड़ से उतरा था और यही हज़रत अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का भी क़ौल है तो इस सूरत में कोई इख़्तेलाफ़ नही लेकिन हज़रते इब्ने अब्बास व अल्लामा सादी और दीगर मुफ़स्सिरीन के कलामो में ये है के वो जन्नती मेंढा था जिसे ब हुक्मे इलाही हज़रते जिब्रील अलैहिस्सलाम ले कर आये और ये वही मेंढा था जिस की हज़रते आदम अलैहिस्सलाम के बेटे "हाबिल" ने क़ुरबानी की थी। ये मेंढा चालीस साल तक जन्नत में चरता रहा और फिर हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह क़ुर्बान किया गया मगर इससे इसका फि नफसीही जन्नती होना साबित नही होता बल्कि तफ़्सीर -ए- रूहुल बयान की रिवायत के मुताबिक ये वही मेंढा था जिसे हज़रते आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने बारगाह -ए- इलाही में पेश किया था।

(تفسیر روح البیان، ج2، ص379)

इन रिवायात से इसका जन्नती होना साबित नही हुआ तो अब इसकी सींग का जलना दुनियावी चीज़ का जलना हुआ, बहर हाल तफसीरी रिवायात मुख्तलिफ है क़तई फैसला मुश्किल है।

(انظر: فتاوی بریلی شریف، ص364، 365، 366، زاویہ پبلشرز لاہور)

चार निक़ाह

अल्लाह त'आला फरमाता है :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً (النساء:3)

"तो तुम उन औरतो से निकाह करो जो तुम्हे पसंद हो, दो दो और तीन तीन और चार चार फिर अगर तुम्हे इस बात का डर हो के तुम इंसाफ नही कर सकोगे तो सिर्फ एक से निकाह करो"

इस आयत से मालूम हुआ के मर्द के लिए एक वक्त में चार औरतो तक से निकाह जाएज़ है।

ये भी मालूम हुआ के अगर किसी को इस बात का खौफ हो के वो चार, तीन या दो के दरमियान इंसाफ नही कर सकता तो सिर्फ एक ही निक़ाह करे।

यहाँ इंसाफ करने से क्या मुराद है? यही के उन के हुक़ूक़ अदा करे, उन के लिबास, खाने, रहने और रात को साथ रहने का खयाल रखा जाए।

जिन्हें डर है के वो इंसाफ नही कर सकते, उन्हें जाने दें लेकिन जो इस काबिल है के चार औरतो के हुक़ूक़ अच्छी तरह अदा कर सकते है वो भी आज कल चाहे तो भी चार निकाह नही कर सकते।

बहुत से मसाइल है, पहेली बीवी का खौफ, बीवी के घर वालो का खौफ, चार लोग क्या कहेंगे इस का खौफ और फिर शादी शुदा को लड़की देगा कौन.....?

ये तो चंद मसाइल है वरना लंबी फेहरिस्त है।

चार शादियों के खिलाफ बात करने वाले/वालिया इस आयत को तो पेश करते/करती है लेकिन जो इंसाफ करने पर क़ादिर है उन्हें भी लपेटने की कोशिश की जाती है और यही वजह है के आज बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते है जिन की चार बीवियां है हालाँकि इंसाफ करने वाले कसीर तादाद में मौजूद है।

ये एक सच है के खौफ सिर्फ इंसाफ कर पाने का नही है बल्कि और भी बाते है।

अब्दे मुस्तफ़ा

क्योंकि घर रोज़ रोज़ नही बनता

घर बनाने में लोग लाखो करोड़ो रूपये लगा देते है क्योंकि घर रोज़ रोज़ नही बनता.....,

आप ये ना समझे के आज हम घर बनाने के बारे में बात करेंगे, हमारा मकसद कुछ और बताना है।

सिर्फ घर बनाना ही नही बल्कि हर वो काम जो रोज़ रोज़ नही होता, उसे हम बेहतर और यादगार बनाना चाहते है।

अब शादी को ले लीजिए, हम ने समझ लिया है कि शादी एक ही बार होती है लिहाज़ा जितना दिमाग लगाया जा सकता है, इस मे लगा दिया जाए।

इस को बेहतर और यादगार बनाने के लिए घर की तरह लाखो रुपये लगाने पड़ते है।

हम कहना क्या चाहते है उसे समझिये.....,

अगर शादी को घर की तरह खास ना कर के आम कर दिया जाए तो इसे आसान भी बनाया जा सकता है, क्या आप हमारी बात समझ गए के हम क्या कहना चाहते है?

हमारा कहना है के शादियों को सिर्फ एक बार ना कर के बार बार किया जाए, आप शायद फिर हमारी बात को नही समझ पाए....,मतलब ये के रोज़ रोज़

शादिया की जाए, आप फिर हमे ग़लत समझ रहे है, कैसे समझाया जाए आप को.....?

सीधी सी बात है के तीन चार शादियों का सिस्टम मिल कर आम किया जाए और इसे आसान बना दिया जाए जब ये तरीका आम होगा तो शादियों को भी आसान किया जा सकेगा, जब एक मर्द तीन चार औरतो से निकाह करेगा तो अपने आप शादिया आसान हो जाएगी।

ये शुरू में थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन शुरुआत की जा सकती है अगर हमारे मुआशरे में ये बात आम हो जाए तो बहुत फायदा होगा।

अब्दे मुस्तफ़ा

बाक़ी औरतें कहाँ जाएंगी?

अक्सर ममालिक (Countries) में औरतो की शरहे पैदाइश (Birth Rate) मर्दो से ज़्यादा है इस के इलावा जंगो (Wars) में हज़ारों लाखो लोग हलाक हो जाते और इस तरह औरतो की तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है। अगर हर मर्द सिर्फ एक औरत से निकाह करे तो बाकी औरते कहाँ जाएगी? उन की ज़िंदगियों का क्या?

किसी आदादो शुमार (Statistics) को देख कर अगर आप को ऐसा लगता है के औरतो और मर्दो की तादाद में ज़्यादा फ़र्क़ नही है तो बुखारी शरीफ की इस हदीस पर भी गौर करे जिस में क़ुर्बे कियामत के मुताल्लिक़ बयान हुआ है के मर्द कम होंगे और औरते ज़्यादा, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती ने 50 औरते होगी।

(بخاری:81)

ये मान लेते है के अभी एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरते नही है लेकिन जितनी भी है, उन से निकाह कौन करेगा?

हमारे मुआशरे में दूसरी शादी का नाम लेना भी हराम हो चुका है तो सवाल फिर अपनी जगह पर है के बाकी औरतें कहाँ जाएगी?

अब या तो उन्हें सारी जिंदगी घर पर बैठना होगा जो फितरत के खिलाफ और ज़ुल्म है या फिर किसी के खाविंद के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात क़ाइम करने होंगे जिस से अपनी दुनिया व आख़िरत तो बर्बाद होगी ही साथ मे उस खाविंद की बीवी और बच्चो की ज़िन्दगी पर भी असरात मुरत्तब होंगे।

इस का एक ही हल है के चार शादियों का रिवाज आम किया जाए और जो लोग चार बीवियो में इंसाफ कर सकते है वो ज़रूर चार शादिया करे।

अब्दे मुस्तफ़ा

नई लड़की नया लड़का

एक नई गाड़ी है और एक पुरानी यानी सैकेंड हैण्ड तो ज़ाहिर सी बात है कि क़ीमत में बहुत फर्क़ होगा और दोनों आपस में बराबर नहीं हैं ठीक इसी तरह आज कल इन्सानों में भी नये और पुराने होते हैं और उन्हें हमारा समाज बराबर नहीं समझता।

जिस लड़के की शादी हो चुकी है वो पुराना हो चुका है, अब अगर उस की बीवी का इन्तिक़ाल हो जाये, तलाक़ हो जाये या वो दूसरा निकाह करना चाहे तो उसे नई (कुँवारी) लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि वो पुराना हो चुका है।

इसी तरह एक लड़की जिस को तलाक़ दे दी गयी है या शौहर की वफ़ात हो गयी है तो अब उससे नया (कुँवारा) लड़का निकाह नहीं कर सकता क्योंकि हमारे समाज के मुताबिक़ वो लड़की पुरानी हो चुकी है।

कहने को तो हमारा समाज पढ़ा लिखा है लेकिन सोच जाहिलों से बदतर है।

आप की बेटी अगर सैकेंड हैण्ड हो गयी है तो.....पहले हमें माफ कीजियेगा कि हम ऐसी ज़ुबान इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन क्या करें हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा है, तो आप की बेटी के लिये किसी ऐसे लड़के को तलाश करना होगा जो पुराना हो क्योंकि अगर आप ने किसी नये लड़के को दावत दी तो हक़ीक़त पता चलने पर वो आप की दावत और पगड़ी दोनों को क़दमों तले रौंद देगा। अगर आप को नया लड़का मिल भी गया तो क़ीमत सुन कर आप के होश उड़ जायेंगे। और फिर आप को कोई पुराना लड़का तलाश करना होगा जो आप पर अहसान कर दे।

अगर ये नये पुराने वाली घटिया सोच हम अपने ज़हनों से निकाल फेंकें तो फिर एक शादी शुदा लड़के को कुँवारी लड़की देने में कोई तकलीफ नहीं होगी और एक कुँवारे लड़के का निकाह किसी बेवा से करने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। अब फैसला आप को करना है कि आप इस पढ़े लिखे समाज के साथ रहना चाहते हैं या जो सहीह है उस के साथ?

अब्दे मुस्तफ़ा

हम दो हमारे दो

ये नारा "हम 2 हमारे 2' आप ने भी सुना होगा जिस का साफ मतलब है कि एक शादी करो और 2 बच्चे, बस बन गयी खुशहाल (Happy) फैमिली....,

लोग उस शहर को खुश'हाल समझ लेते
रात के वक़्त भी जो जाग रहा होता है

कितनी अजीब बात है के ये बात सिर्फ हमारी समझ मे ही तशरीफ़ लायी वरना:

रसूल -ए- करीम ﷺ ने ग्यारह औरतो से निकाह फरमाया और आप की चार बांदिया भी थी।

आप ﷺ की अवलाद -ए- किराम की तादाद सात है।
हज़रते आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा -ए- मोहतरमा हज़रते हव्वा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा 20 मर्तबा हामिला (Pregnant) हुईं और हर हमल से दो बच्चो की पैदाइश होती थी, इस तरह 40 बच्चे पैदा हुए और आप की वफात के वक़्त इंसानो की तादाद (अवलाद दर अवलाद) एक लाख हो गयी थी।

(تفسیر نعیمی، ج4، ص508)

हज़रते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीविया और 8 अवलाद थी।

(تفسیر قرطبی، ج2، ص135؛ تفسیر نعیمی، ج1، ص705)

हज़रते इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए।

(تفسیر نعیمی، ج1، ص705)

हज़रते इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे मश'हूर है।

(مستدرک، ج2، ص607)

हज़रते याक़ूब अलैहिस्सलाम की 3 बीविया और 12 अवलाद थी।

(تاریخ طبری، ج1، ص231)

हज़रते युसुफ अलैहिस्सलाम की 1 बीवी और 2 बेटो का ज़िक्र मिलता है।

(معالم التنزیل، ج2، ص363)

हज़रते लूत अलैहिस्सलाम की 1 बीवी और 2 बेटियों का ज़िक्र मिलता है।

(تفسیر نعیمی، ج12، ص242)

हज़रते हुद अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे।

(تفسیر در منثور، ج3، ص305)

हज़रते दावूद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे जिन में हज़रते सुलैमान अलैहिस्सलाम सब से छोटे है।

(تذکرۃ الانبیاء، عبد الرزاق بھتر الوی، ص300)

हज़रते सुलैमान अलैहिस्सलाम की 50 से ज़्यादा बीवियों का ज़िक्र मिलता है।

(ایضاً، ص329)

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम की अवलाद बहुत ज़्यादा थी।

(تاریخ ابن کثیر، ج1، ص308)

हज़रते अबू बकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 4 बीविया और 6 अवलाद थीं।

हज़रते उमर फ़ारूक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 10 बीविया और 15 अवलाद थीं।

हज़रते उस्मान ग़नी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 8 बीवियाँ और 16 अवलाद थीं।

हज़रते अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 9 बीवियाँ और 36 अवलाद थीं।

हज़रते ज़ुबैर बिन अव्वाम रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 9 बीवियाँ और 20 अवलाद थीं।

हज़रते अब्दुर रहमान बिन औफ़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 15 बीवियाँ और 28 अवलाद थीं।

इमाम हसन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 10 से ज़ाइद बीवियाँ और 17 या 18 अवलाद थीं।

इमाम हुसैन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 5 बीवियाँ थीं और 6 अवलाद थीं।

हज़रते तल्हा बिन उबैदुल्लाह की 15 अवलाद थीं।

हज़रते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 4 बीवियाँ थीं और 6 अवलाद थीं।

हज़रते सईद बिन अबी वक़्क़ास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 11 बीवियाँ और 36 अवलाद थीं।

हज़रते ओसामा बिन ज़ैद रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 6 बीवियाँ और 7 अवलाद थीं।

हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की मुता'अद्दिद बीवियाँ और 16 अवलाद थीं।

हज़रते सईद बिन ज़ैद रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 9 बीवियाँ और 31 अवलाद थीं।

हज़रते मुहम्मद बिन मुस्लिमा रदिअल्लाहु त'आला की 16 अवलाद थीं।

हज़रते उबैदा बिन अल हारिस रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की मुता'अद्दिद बीवियाँ और 10 अवलाद थीं।

हज़रते अनस बिन मालिक रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 80 से ज़्यादा अवलाद थीं।

हज़रते ज़ैद बिन हारिसा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 6 बीवियाँ और 3 अवलाद थीं।

हज़रते अब्बास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 3 बीवियाँ और 10 अवलाद थीं।
हज़रत अमीर -ए- हमज़ा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 3 बीवियाँ और 4 अवलाद थीं।
हज़रत ए क़ैस बिन आसिम रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 32 अवलाद थी।
हज़रते हारिस बिन नोफेल रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 4 बीवियाँ और 6 अवलाद थीं।
हज़रते हसन मुसन्ना रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 5 बीवियाँ थीं।
हज़रते अबू सुफियान बिन हारिस रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 4 से ज़ाइद बीवियाँ और 7 अवलाद थीं।
हज़रते मामर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 2 बीवियाँ थीं।
हज़रते अम्र बिन हज़म रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 2 बीवियाँ थीं।
हज़रते अब्दुल्लाह बिन अम्र रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 10 अवलाद थीं।
हज़रते नईम बिन अब्दुल्लाह रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 2 बीवियाँ और 2 अवलाद थीं।
हज़रते अक़ील बिन अबी तालिब रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 5 बीवियाँ और 14 अवलाद थीं।
हज़रते खुब्बाब रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की 7 अवलाद थी।
हज़रते अबू उमर क़िदामा रदिअल्लाहु त'आला अन्हू की 3 बीवियाँ थी, 1 बान्दी और 4 अवलाद थी।
हज़रते उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहीमहुल्लाह की 3 बीवियाँ, 1 बान्दी और 16 अवलाद थीं।
हज़रते बाबा फरीद गन्जे शकर रहीमहुल्लाह की 4 बीवियाँ और 8 अवलाद थीं।

शैख बहाउद्दीन ज़करिया मुलतानी रहीमहुल्लाह की 2 बीवियाँ और 10 अवलाद थीं।

इन के अलावा सहाबा-ए- किराम में बेशतर ने मुता'अद्दिद निकाह फरमाए।

ये हम दो हमारे दो वाली फिक्र पहले ना थी वरना ना जाने कितने लोग अभी पैदा ही नहीं होते।

जो लोग अपनी बीवी और बच्चों के रिज़्क़ के मालिक हैं, उन्हें चाहिये कि ये नारा शौक़ से लगायें लेकिन जिन का मानना है कि अल्लाह त'आला रिज़्क़ अता फरमाने वाला है, उन्हें ऐसे नारों से कोई फर्क़ नहीं पड़ता।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

एक ही निकाह कीजिये

हमारा पढ़ा लिखा मुआशरा बिल्कुल ठीक कहता है कि एक शादी करो ताकि औरत के हुक़ूक़ (Rights) और बच्चों का मुस्तक़्बिल (Future), दोनों सलामत रहें। औरतों की तादाद ज़्यादा है तो क्या हुआ, सब का हम ने ठेका थोड़ी ले रखा है।

ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? यही ना कि उन की ज़िंदगी अकेले (Single) कट जायेगी।

हमारी प्यारी सोसाइटी का कहना बिल्कुल सहीह है, इस से ज़्यादा हो भी क्या सकता है? जिस तरह क़ौमे लूत के मर्दों ने औरतों की ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो वो दिन दहाड़े ज़िना करवाती फिरती थीं * उसी तरह हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग करेंगे।

(تفسیر نعیمی، ج12، ص233 *)

इस से ज़्यादा क्या होगा और हमें इस से क्या मतलब? हम तो पढ़े लिखे है ना बाक़ी सब भाड़ में जायें।

उन औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोठे पर जायेंगी लेकिन हमें तो समाज के बीच रहना है।

बिल्कुल सही कहता है हमारा मुआशरा, इस से हमें इत्तिफाक़ करना चाहिये।

एक से ज़्यादा निकाह करने वाले शहवत परस्त और अय्याश होते हैं लिहाज़ा हम ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं।

अब आप को भी चाहिये कि सिर्फ एक निकाह करें और अपनी बीवी का अच्छे से खयाल रखें।

क्या ज़रूरत है मुआशरे के खिलाफ जाने की? हमारी सोसाइटी ही तो हमें बुराइयों से बचाती है। लिहाज़ा इसी के मुताबिक़ चलना चाहिये।

अब्दे मुस्तफ़ा

सुनो! मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ

अपनी पहली बीवी से अचानक जा कर ये कहना कि "सुनो! में दूसरी शादी करने जा रहा हूँ बिल्कुल मुसीबत को दावत देने के बराबर है।

ये कहने के बाद क्या होगा? ये तो पहले बताना मुश्किल है। आग लग सकती है, पंचायत भी बैठ सकती है और कुछ भी हो सकता है।

एक शख़्स ने हिम्मत जुटा कर पंचायत के सामने कह डाला कि "हाँ मैं दूसरी शादी करूँगा!" फिर होना क्या था अकेली ज़िन्दगी कट रही है, जो इकलौती बीवी थी वो भी छोड़ कर चली गयी। जब मोहल्ले वालों ने ये मंज़र देखा तो जिन के दिलो दिमाग मे कहीं दूसरी शादी का खयाल पनप रहा था, वही खत्म हो गया।

औरत को लगता है के दूसरी बीवी आने से प्यार में कमी आ जाएंगी लेकिन ऐसा नही है, ये कोई प्यार के दरमियान आने वाली चीज नही है बल्कि प्यार को बढ़ाने

वाली चीज है। एक से ज़्यादा बीविया होने का एक फायदा ये है के किसी पर ज़्यादा भार नही पड़ता।
एक बीवी है, उसी को खाना पकाना है, कपड़े धोने है, बच्चो की देख भाल करनी है, अपने मसाइल है फिर रात को शौहर की ज़रूरत पूरी करनी है, इतना बोझ पड़ने की वजह से औरते वक़्त से पहले बूढ़ी हो जाती है और फिर शौहर को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है
चार शादियों का रिवाज आम करना है तो औरतो को थोड़ा सपोर्ट करना होगा और इस मे उन्ही की भलाई है।
अगर शौहर को रोकना है तो उन कामो से रोके जिन से शरीअत रोकती है और जहाँ शरीअत नही रोकती वहाँ रोकना नुकसान देह साबित होगा।
इस बारे में औरतो को ज़रूर सोचना चाहिए।

अब्दे मुस्तफ़ा

FIND ABDE MUSTAFA OFFICIAL ON SOCIAL MEDIA NETWORK

Visit : abdemustafa.in
Find us on Facebook /abdemustafaofficial
Instagram /abdemustafaofficial
Twitter /abdemustafaofficial
Telegram /abdemustafaofficial
Telegram Library /abdemustafalibrary
E Nikah Matrimony on Telegram /Enikah
E Nikah Matrimony site : enikah.in (under construction)
WhatsApp : +919102520764
+917301434813
Separate Groups for females are available.
YouTube /abdemustafaofficial

عبد مصطفى
AM ABDE MUSTAFA

ABDE MUSTAFA OFFICIAL

Our Other Pamphlets

Azaan -e- Bilal Aur Suraj Ka Nikalna
Allah Ta'ala Ko Uparwala Ya Allah Miyan Kehna Kaisa?
Gaana Bajana Band Karo, Tum Musalman Ho!
Shabe Meraj Huzoor Ghause Paak
Ishqe Majazi
Shabe Meraj Nalain Arsh Par
Ghaire Sahaba Mein Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal
Bahaar -e- Tehreer (Kayi Hisso Mein)
Muqarrir Kaisa Ho?
Ikhtelaf Ikhtelaf Ikhtelaf
Hazrate Owais Qarni Ka Ek Waqiya
Hazrate Ali Ki Wiladat Kahan Huyi?
Available in Urdu, Roman Urdu and Hindi

Abde Mustafa Official

عبد مصطفی
AM ABDE MUSTAFA